सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एनएडीपी)/ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए दिशा-निर्देश

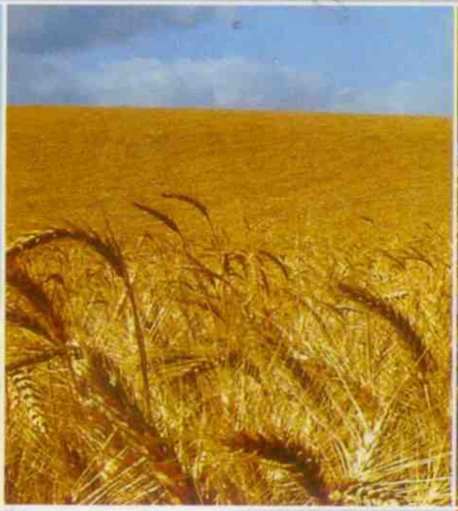

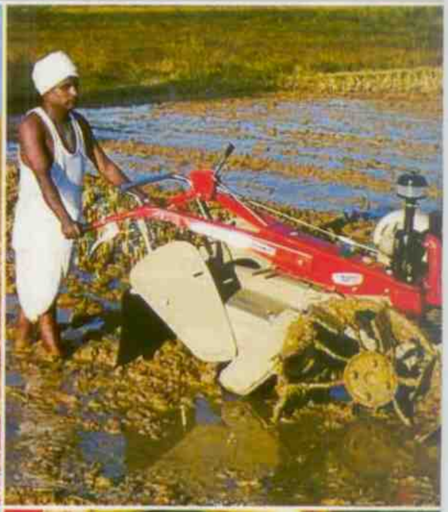

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

अगस्त, 2007

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एनएडीपी)/ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए

दिशा–निर्देश

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

अगस्त, 2007

राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) हेतु दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

1.1 वर्ष 1991 से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्चतर कृषि के स्तर पर पहुंचा दिया है। कुल सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में वार्षिक वृद्धि दर जो कि सुधारों के प्रारंभिक वर्षों के दौरान 6 प्रतिशत थी वह हाल के वर्षों में बढ़कर 8 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अपने दृष्टिकोण दस्तावेज (एप्रोच पेपर) में उल्लेख किया है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जी डी पी में 9 प्रतिशत वृद्धि दर संभव होगी। बहरहाल, कृषि जो कि सुधारों के आरम्भ में कुल जीडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक थी, अपनी सुधार पूर्व वृद्धि को कायम रखने में असफल रही। इसके विपरीत नब्बे के दशक के मध्य के पश्चात वृद्धि में तेजी से गिरावट देखी गई। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ कि अधिकतर राज्यों में कृषि उत्पादकता काफी कम थी, और कृषि की वृद्धि की संभावना अधिक थी।

1.2 अस्सी के दशक के दौरान कृषि का जी डी पी वार्षिक रूप से 3 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। नौवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1996 से 2001–02) से ही भारत का लक्ष्य कृषि में 4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करने का रहा है, किन्तु वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम रही है। देश के कार्यबल के 50 प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति अब भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में धीमी वृद्धि अर्थव्यवस्था में घोर विपत्ति का कारण बन सकती है क्योंकि कृषि और समवर्गी क्षेत्र पर अब भी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आश्रित है। कृषि में धीमी वृद्धि के पीछे एक मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में निवेश में लगातार कमी रहना है। जबकि अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश विविध प्रकार से बढ़ रहे हैं, इसी तरह का निवेश कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से कृषक समुदाय, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों में विपत्ति का कारण बन सकता है। अतः ऐसा महसूस किया गया है कि राज्यों को इस बात के लिए प्रेरित किए जाने की जरूरत है कि वे कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में अपने निवेशों में वृद्धि करें।

1.3 कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में धीमी वृद्धि के संबंध में व्यक्त चिंताओं के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) ने 29 मई, 2007 को हुई अपनी बैठक में यह संकल्प किया कि एक विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (आर के वी वाई) शुरू की जाए। एन डी सी ने संकल्प किया कि किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विकास रणनीतियों को नया रूप दिया जाना चाहिए ताकि कृषि को नया रूप दिया जा सके। एन डी सी ने ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराई। अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम के संबंध में संकल्प इस प्रकार है :

> राज्यों को उनके कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक व्यापक बनाने की दृष्टि से कृषि जलवायुवीय स्थितियों, प्राकृतिक संसाधन संबंधी मुद्दों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करने और पशुधन, कुक्कुट पालन और मत्स्यिकी को और अधिक पूर्ण तरीके से एकीकृत करने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक नई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम शुरू करना। इसमें भूमि सुधारों के लाभार्थियों के लिए विशेष स्कीमों सहित इसकी विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अलावा राज्य–विशिष्ट रणनीतियों में सहायता करने के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रचालित राज्य योजनाओं को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक नई स्कीम शामिल है। नई सृजित राष्ट्रीय वर्षा

सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण अनुरोध किए जाने पर वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु नियोजन में राज्यों की सहायता करेगा।

1.4 कृषि एवं सहकारिता विभाग ने उपर्युक्त संकल्प के अनुपालन में तथा योजना आयोग के परामर्श से एन ए डी पी/आर के वी वाई के नाम से जानी जाने वाली आर के वी वाई स्कीम के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए हैं जो कि इस दस्तावेज में शामिल हैं।

2. आर के वी वाई की मूल विशेषताएं

2.1 आर के वी वाई का लक्ष्य कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए XIवीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

(ii) राज्यों को कृषि और समवर्गी क्षेत्र की स्कीमों के नियोजन व निष्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन तथा स्वायत्ता प्रदान करना।

(iii) कृषि–जलवायुवीय स्थितियां, प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनाएं तैयार किया जाना सुनिश्चित करना।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि राज्यों की कृषि योजनाओं में स्थानीय जरूरतों/फसलों/प्राथमिकताओं को बेहतर रूप से प्रतिबिंबित किया जाए।

(v) केन्द्रक हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतर को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करना।

(vi) कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में किसानों की आय को अधिकतम करना।

(vii) कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र ढंग से समाधान करके उनके उत्पादन और उत्पादकता में मात्रात्मक परिवर्तन करना।

2.2 ये दिशा–निर्देश उन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू हैं जो पात्रता की शर्तें पूरा करते हैं।

2.3 आर के वी वाई एक राज्य योजना स्कीम होगी। स्कीम के अधीन सहायता की पात्रता कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों पर राज्य सरकारों द्वारा खर्च किए गए ब्रेस लाईन प्रतिशतता व्यय के अलावा कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों हेतु राज्य योजना बजटों में मुहैया कराई गई राशि पर निर्भर करेगी। योजना आयोग द्वारा उल्लिखित समवर्गी क्षेत्रों की सूची सेक्टोरल व्यय निर्धारित करने का आधार होगा, अर्थात सस्य पालन (बागवानी सहित), पशुपालन एवं मात्स्यिकी, डेयरी विकास, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा वानिकी और वन्य जीव, पौध रोपण तथा कृषि विपणन, खाद्य भण्डारण और वेअर हाउसिंग, अन्य कृषि कार्यक्रम तथा सहयोग। प्रत्येक राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपने कुल राज्य योजना खर्च (आर के वी वाई के अधीन सहायता को छोड़कर) कम से कम कृषि के बेस लाईन शेयर को कायम रखा जाए, और ऐसा करने से वह आर के वी वाई निधियों तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। बेस लाईन चल औसत होगी और पहले ही प्राप्त निधियों को छोड़ने के पश्चात, आर के वी वाई के अधीन पात्रता निर्धारित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत को ध्यान में रखा जाएगा। आर के वी वाई निधियां राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाएंगी। आर के वी वाई के अधीन पात्रता निर्धारित करने की प्रक्रिया का स्पष्टीकरण अनुबंध I पर है। राज्यों से जिलों और राज्य के लिए कृषि योजनाएं तैयार किया जाना अपेक्षित है जिसमें व्यापक रूप से संसाधनों को कवर किया जाए और जो निश्चित कार्य योजनाओं का उल्लेख करें।

2.4 चूंकि आर के वी वाई कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के लिए पूरी राज्य योजना के लिए लागू है और इसमें एन आर ई जी एस, एस जी एस वाई तथा बी आर जी एक जैसी स्मीकों के साथ समाभिरूपता (कनवर्जेंस) को प्रोत्साहित करना चाहा गया है इसलिए योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय दोनों ही वार्षिक योजना अनुमोदन कार्य के भाग के रूप में कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों के लिए राज्य के समग्र योजना प्रस्तावों की जांच करेंगे। इस चरण पर पंचायती राज मंत्रालय के साथ परामर्श करके यह निर्णय भी किया जाएगा कि जिला विकास योजनाओं के संबंध में आवश्यकताओं को पूरा किया गया है अथवा नहीं। यदि समाभिरूपता पर्याप्त रूप से हो गई है तो डी ए एच डी एण्ड एफ, जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डेयर और एन आर ए ए से भी सलाह ली जाए।

2.5 किसी राज्य के आर के वी वाई हेतु पात्र हो जाने के पश्चात राज्य को सहायता की मात्रा और तदन्तर आवंटन की प्रक्रिया अनुबंध II में यथा स्पष्ट पैरामीटरों और संबंधित अपेक्षाओं (वेट्स) के अनुसार होगी।

2.6 राज्य के लिए निश्चित समय–सीमाओं से विशिष्ट परियोजनाएं शुरू करने तथा वानिकी तथा वन्य जीवन और पौध रोपण (अर्थात कॉफी, चाय और रबड़) को छोड़कर कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों के उद्देश्य स्पष्ट करने की अनुमति होगी। इस प्रयोजनार्थ, आर के वी वाई राज्यों को दो विशिष्ट तरीकों में उपलब्ध होगी। पहले तरीके के अधीन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि का कम से कम 75% प्रस्तावित किया जाएगा। दूसरे तरीके के अधीन विद्यमान राज्य क्षेत्र की स्कीमों को सुदृढ़ बनाने और संसाधन अंतरालों को समाप्त करने के लिए राशि उपलब्ध होगी। स्कीम के कार्यान्वयन में एक वर्ष के अनुभव के पश्चात पहले और दूसरे तरीके के बीच अनुपातों की समीक्षा की जाएगी।

2.7 राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एस एल एस सी) को पहले तरीके के अधीन विशिष्ट परियोजनाओं को मंजूर करने का अधिकार होगा। भारत सरकार का प्रतिनिधि एस एल एस सी की बैठक में भाग लेगा और भारत सरकार के कम से कम एक अधिकारी की उपस्थिति के बिना कोरम पूरा नहीं होगा।

2.8 ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब कोई विशेष राज्य कृषि एवं समवर्गी क्षेत्रों पर उसके कम खर्च के कारण बाद के वर्ष में आर के वी वाई के अधीन निधियां प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। यदि ऐसा हुआ तो आर के वी वाई के अधीन मंजूर परियोजनाओं/स्कीमों को पूरा करने के लिए उनके अपने संसाधनों के प्रति प्रतिबद्ध होना अपेक्षित होगा।

2.9 वित्त पोषण का प्रतिमान 100% केन्द्रीय अनुदान है और संभावित लक्ष्य यह है कि आर के वी वाई स्कीम के माध्यम से किए गए अतिरिक्त निवेश से कृषि में कम से कम 4% वृद्धि होगी। स्कीम के अधीन राज्यों को समुचित स्थानीय चयन करने का पर्याप्त लचीलापन दिया जाता है ताकि जो परिणाम मिलें वे आर के वी वाई के उद्देश्यों में की गई परिकल्पना के अनुरूप हों।

3. आरकेवीवाई की नियोजन प्रक्रिया

3.1 प्रत्येक जिला अन्य विद्यमान स्कीमों, जिला, राज्य अथवा केन्द्रीय स्कीमों जैसे बीआरजीएफ, एसजीएसवाई, एन.आर.ई.जी.एस और भारत निर्माण आदि से उपलब्ध संसाधनों को शामिल करके जिला कृषि योजना (डीएपी) बनाएगा। जिला कृषि योजनाएं विद्यमान स्कीमों का सामान्य समुच्चय नहीं होगी परन्तु वे जिले के कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यकताओं को प्रक्षिप्त करने की ओर लक्षित होंगी। ये योजनाएं जिले के समग्र विकास परिदृश्य के भीतर कृषि योजनाएं विद्यमान स्कीमों का सामान्य समुच्चय नहीं होंगी पर वे जिले के कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के लिए भावी स्वरूप प्रस्तुत करेंगी। जिला कृषि योजनाएं कृषि विकास योजनाओं की वित्तीय आवश्यकता और उनके वित्तपोषण के स्रोतों को व्यापक ढंग से प्रस्तुत करेंगी। चूंकि आरकेवीवाई उचित जिला नियोजन के साथ प्रतिबन्धपूर्वक जुड़ी हुई है और क्योंकि योजना आयोग ने संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुसार जिला नियोजन

के लिए दिशानिर्देश पहले ही परिचालित कर दिए हैं, इसलिए राज्य यथासंभव इन अपेक्षाओं का पालन करेंगे। राज्यों को एनडीसी में यथा प्रस्तावित जिला नियोजन के लिए अपने द्वारा विकसित संस्थागत तंत्रों को विनिर्दिष्ट करना होगा और वार्षिक योजना के चरण पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। एसएलएससी इसको मानिटर और सुनिश्चित करेगी। डीएपी में प्रत्येक जिले में प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकीय संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और मात्स्यिकी, लघु सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण विकास संकर्म, कृषि विपणन स्कीमें और जल संचयन व संरक्षण के लिए स्कीमें आदि शामिल होंगी।

3.2 प्रत्येक राज्य जिला योजनाएं समेकित करके व्यापक राज्य कृषि योजना (सीएपी) तैयार करेगा। राज्य को आरंभ में उन संसाधनों को निर्दिष्ट करना होगा जो राज्य से जिला तक संचारित हो सकते हैं। डीएपी संबंधित जिले में चालू बहुविध कार्यक्रमों को समेकित करेगी, राज्य द्वारा निर्दिष्ट संसाधनों और क्रियाकलापों को शामिल करेगी, अन्य कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों का संयोजन करेगी और योजना को अंतिम रूप देगी। घटकों, जिन पर विचार किया जाएगा, में कम से कम निम्नलिखित कवर होने चाहिए :

(क) राज्य योजना के क्षेत्रीय और जिला खंड।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें अर्थात् एनआरईजीएस (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम), बीआरजीएफ (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष), एसजीएसवाई (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना) और भारत निर्माण आदि और

(ग) केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोगों से सीमित और असीमित (टाईड और अनटाईड) अनुदान।

राज्य कृषि योजना को तैयार करने की दो तरह की प्रक्रियाएं हो सकती हैं। एक पद्धति में राज्य नोडल विभाग (कृषि विभाग) प्रथमतः जिलों से डीएपी का मसौदा प्राप्त कर सकता है और यह जांच कर सकता है कि राज्य के लिए महत्वूपर्ण पहलुओं को जिला योजनाओं में उचित ढंग से कवर किया गया है अथवा नहीं। उदाहरणार्थ राज्य स्तर पर कुछ जिलों में उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जा सकता है। राज्य को संवीक्षा के इस चरण पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना को संबंधित जिलों की जिला कृषि योजनाओं में शामिल किया जाए। नोडल विभाग/राज्य एजेन्सी, जिन्हे एसएपी को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि कृषि और समवर्गी क्षेत्रों से संबंधित राज्य की प्राथमिकताओं को जिला कृषि योजनाओं में उपयुक्त ढंग से शामिल किया जाए। दूसरी पद्धति में राज्य नोडल एजेन्सी प्रथमतः जिलों को राज्य की प्राथमिकताओं को सूचित कर सकती है, जिन्हें संबंधित जिला योजनाओं में प्रतिबिम्बित होना चाहिए और जिले इनको अपनी योजनाओं में शामिल करें। जिला कृषि योजना को तैयार करना विस्तृत, व्यापक और पुनरावृत्तीय प्रक्रिया है, अतः राज्य नोडल विभाग और जिला कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि डीएपी को उचित और व्यापक ढंग से बनाया जाए।

डीएपी का चित्रमय वर्णन इस प्रकार है:

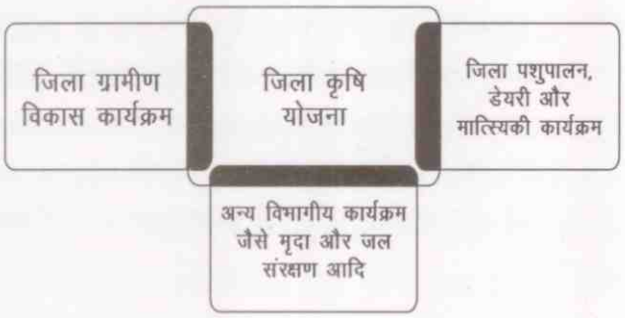

छायांकित अंश क्रियाकलापों की अतिव्याप्ति/समभिरूपता निर्दिष्ट करते हैं। यह केवल निर्देशक रेखाचित्र है और

किसी भी तरह से व्यापक नहीं है अर्थात् अन्य क्षेत्रीय योजनाएं भी एकस्थ (कनवर्ज) हो सकती हैं।

3.3 कई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने व्यापक जिला और राज्य योजनाएं पहले ही तैयार कर दी होंगी। वे यह अभिनिश्चित करें कि उनको आरकेवीवाई के प्रयोजनों के लिए अद्यतन बनाया और प्रयोग किया जा सकता है। तथापि जिन राज्यों ने ऐसी तैयारी नहीं की है और उन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर इसे पूरा करने के लिए कार्य तत्काल शुरू करना चाहिए। नाबार्ड द्वारा पहले से तैयार जिला स्तरीय क्षमता संबंधी ऋण योजनाएं (पीएलपी) इस संबंध में उपयोगी होंगी। राज्य सरकारों को एटीएमए कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित एसआरईपी (रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजनाएं) और पीएलपी का सर्वोत्तम उपयोग करने की सलाह दी जाती है। योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों को जिला विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश सूचित कर दिए गए हैं। आरकेवीवाई के प्रयोजनार्थ तैयार जिला विकास योजनाओं को योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मोटे तौर पर पर्याप्त होना चाहिए। तथापि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अन्य कार्यक्रमों के साथ समभिरूपता और पीआरआई को सौंपी गई भूमिका संतोषजनक हैं। वर्ष 2007–08 के लिए राज्यों द्वारा स्पष्ट संकेत दिए जाने चाहिए कि वे जिला कृषि योजनाओं को तैयार करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो जिला विकास योजना की पूरक हैं। राज्यों का उद्देश्य पहले से कवर किए गए जिलों की संख्या और शेष जिलों को कवर करने के लिए रोडमैप की उपलब्धता से ज्ञात होगा। अंततः वर्ष 2008–09 से आरकेवीवाई के अंतर्गत कोई भी सहायता तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक सभी जिले जिला योजनाओं के साथ तैयार न हों। जहां कहीं भी राज्यों को डीएपी और/अथवा एसएपी को तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं को शामिल करने की आवश्यकता महसूस हो तो वे ऐसा करें।

3.4 अंतिम रूप प्रदान कर दी गई राज्य कृषि योजना को राज्य योजना संबंधी कार्य के भाग के रूप में कृषि विभाग और योजना आयोज के समक्ष रखा जाएगा ताकि राज्य योजना विभाग द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त की जा सके। कृषि एवं सहकारिता विभाग और योजना आयोग आवश्यकता अनुसार ऐसे सुझावों के साथ एसएपी को अनुमोदित करेंगे। राज्य मांगी गई सहायता के लिए राज्य योजना संबंधी विचार–विमर्श से बहुत पहले पूर्ण तर्क – आधार और औचित्य प्रदान करेंगे ताकि कृषि और सहकारिता विभाग व योजना आयोग को प्रस्तावों पर अपने विचार दृढ़ करने और संबंधित विभागों के साथ आवश्यकता अनुसार ऐसे परामर्श करने का पर्याप्त समय दिया जा सके।

3.5 जिलों से पहले तरीके (स्ट्रीम–I) के अंतर्गत एसएलएससी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परियोजनाएं तैयार करना अपेक्षित होगा। आरकेवीवाई के तहत राज्य जिसके हकदार होते हैं उन कुल निधियों के क्रम से कम 75 प्रतिशत पहले तरीके के तहत उपलब्ध होंगे। नोडल विभाग/एजेन्सी प्रत्येक जिले में ऐसी परियोजनाएं शुरू/संकलित करेगा, उनको प्राथमिकताबद्ध करेगा और एसएलएससी के समक्ष रखेगा। एसएलएससी को बैठक, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि भाग लेंगे, में पहले तरीके के तहत परियोजनाओं को मंजूर करने का अधिकार है। नोडल एजेन्सी कार्यसूची के सार के साथ–साथ बैठक नोटिस भेजते समय भारत सरकार के प्रतिनिधियों को कम से कम 15 दिनों का नोटिस देगी। पहले तरीके के अंतर्गत एसएलएससी को प्रस्तुत परियाजनाएं जिला और राज्य कृषि योजनाओं के अनुरूप होंगी। कुल आरकेवीवाई निधियों का शेष विद्यमान स्कीमों के सुदृढ़ीकरण और राज्य योजनाओं के तहत संसाधन की कमियों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा। यह राज्यों को असीमित सहायता होगी।

3.6 राज्य को प्रशासनिक व्यय, जिसमें परामर्शदाताओं को भुगतान, विभिन्न प्रकार के आवर्ती खर्च, स्टाफ लागत आदि शामिल हैं, के लिए अपने कुल आरकेवीवाई कोषों के 1 प्रतिशत तक प्रयोग करने की अनुमति है। तथापि कोई स्थायी रोजगार सृजित नहीं किया जा सकता है और न ही वाहन खरीदे जा सकते हैं।

3.7 कृषि एवं सहकारिता विभाग अपने स्तर पर आरकेवीवाई कोषों के 1 प्रतिशत अंश को रखे ताकि अखिल भारतीय मूल्यांकन किए जा सकें अथवा अलग–अलग

समय पर होने वाले प्रशासनिक आकस्मिक व्यय को पूरा किया जा सके।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रमुख क्षेत्र

4.1 घटक/क्रियाकलाप जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की धारा–1 के तहत परियोजना आधारित सहायता के लिए पात्र होंगे, निम्नवत स्पष्ट किए गए हैं। यह एक निर्देशात्मक सूची है; राज्य अन्य घटकों/क्रियाकलापों का चयन कर सकते हैं किन्तु उनको यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एसएपी और डीएपी में पूर्णतया परिलक्षित हों। कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा पशुपालन डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग द्वारा निम्नलिखित घटकों को कवर करते हुए संचालित स्कीमों के पहले से ही विस्तृत दिशा–निर्देश हैं जिनका क्रियान्वयनकारी एजेंसियों को अनुपालन करना चाहिए। नए घटक (कों) के लिए सहायता, यदि कोई हो, राज्य स्तरीय मंजूरी समिति से परामर्श करते हुए परिकलित की जा सकती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटकों में निम्नलिखित शामिल होंगे।

(क) **गेहूं, धान, मोटे अनाज, छोटे कदन्न, दालों, तिलहनों जैसी प्रमुख खाद्य फसलों का समेकित विकास** : किसानों को प्रमाणित/उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराने, प्रजनक बीज के उत्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के बीज निगमों, भा॰कृ॰अ॰प॰ जैसी संस्थाओं से प्रजनक बीज की खरीद, आधारी बीजों के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन, बीज उपचार, प्रदर्शन स्थलों पर कृषक क्षेत्र स्कूल, कृषक प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता दी जा सकती है। गन्ना, कपास जैसी अन्य फसलों या किसी अन्य फसल/किस्म जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, के विकास के लिए इसी प्रकार की सहायता दी जाएगी।

(ख) **कृषि यंत्रीकरणः** फार्म यंत्रीकरण प्रयासों के लिए, विशेष रूप से जेन्डर के प्रति अनुकूल उन्नत उपकरणों, उपस्करों एवं मशीनरी के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम के तहत फार्म उत्पादकता बढ़ाने की ओर उन्मुख विशिष्ट कृषि यंत्रीकरण परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है। तथापि, इस स्कीम के तहत ट्रैक्टर शामिल नहीं है।

(ग) **मृदा स्वास्थ्य के संवर्धन से संबंधित क्रियाकलापः** इसमें प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि सहित आदानों का प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण शामिल होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्डों के वितरण; सूक्ष्म–पोषक तत्व प्रदर्शन, प्रचार/उपयोगी साहित्य के मुद्रण सहित जैविक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसानों के प्रशिक्षण; मौजूदा मृदा परीक्षण एवं उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने तथा नई प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहायता; क्षारीयता तथा अम्लीयता से प्रभावित मृदा के सुधार के लिए सहायता दी जा सकती हैं।

(घ) **पनधारा क्षेत्रों के अन्दर तथा बाहर वर्षा सिंचित फार्मिंग प्रणाली का विकास और साथ ही पनधारा क्षेत्रों, बंजर भूमियों, नदी घाटियों का समेकित विकासः** भूमि विकास के लिए सहायता तथा साथ ही बागवानी के लिए सहायता, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले किसानों के लिए जीविका का सृजन करना।

(ङ) **राज्य बीज फार्मों को सहायताः** अनुसंधान एवं उत्पादन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले राज्य फार्मों को भूमि विकास, सिंचाई सुविधाओं के सृजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि जैसे पहलुओं को कवर करते हुए परियोजना प्रणाली के तहत कोष प्रदान किए जा सकते हैं। तथापि, नये भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं है।

(च) **समेकित कीट प्रबंध स्कीमेंः** इसमें कीट प्रबंध प्रणालियों के संबंध में फार्म–फील्ड स्कूलों आदि के

जरिये किसानों को प्रशिक्षण, साहित्य का मुद्रण/अन्य जागरूकता कार्यक्रम शामिल होंगे।

(छ) **गैर–फार्म क्रियाकलापों को बढ़ावा देनाः** कृषि–क्लिनिकों/कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना के लिए कृषि उद्यमियों/कृषि–स्नातकों को सहायता।

(ज) **मण्डी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा मण्डी विकासः** शीतागारों, शीत–श्रृंखला, गोदामों की स्थापना; किसानों के स्वयं–सहायता समूहों के गठन, एकत्रण केन्द्रों की स्थापना आदि के लिए सहायता एकत्रण और मंडियों/सरकारी एजेंसियों को बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पीआरआई/स्वयं–सहायता समूहों को सहायता।

(झ) **विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना को मजबूत बनानाः** इसमें खेतिहर समुदाय में प्रशिक्षण तथा कुशलता विकास के लिए नए क्रियाकलाप तथा मौजूदा राज्य कृषि विस्तार प्रणालियों का सुधार करना शामिल होगी।

(ञ) **बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधी क्रियाकलाप तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को लोकप्रिय बनानाः** विपणन एवं ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई सहित बागवानी क्रियाकलापों तथा नर्सरी विकास के लिए सहायता उपलब्ध होगी।

(ट) **पशु पालन एवं मात्स्यिकी विकास क्रियाकलापः** चारा उत्पादन में सुधार, मवेशियों तथा भैंसों का आनुवंशिकीय परिमार्जन, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल के आधार को व्यापक बनाना, पशुधन स्वास्थ्य में सुधार, कुक्कुट विकास, छोटे कृन्तकों के विकास तथा वर्धित मत्स्य उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध होगी।

(ठ) **भूमि सुधारों के लाभानुभोगियों के लिए विशेष स्कीमें:** इस वर्ग के लाभानुभोगियों की सकल न्यूनतम आय में सुधार लाने के लिए सहायता दी जाएगी। भूमि सुधारों के लाभानुभोगी सामान्यतः छोटे तथा सीमांत किसान हैं। उनकी कृषि को व्यवहार्य बनाना तभी संभव होगा जब पुष्पकृषि, बागवानी, बीज उत्पादन आदि जैसे विकसित होने वाले क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी अवसंरचना, सिंचाई भूमि विकास पर पूंजी निवेश किया जाता है। सामान्य अवसंरचना का प्रावधान करते हुए ऐसे लाभानुभोगियों के समूहों के लिए विशिष्ट परियोजनाएं शुरू की जा सकती है।

(ड) **परियोजनाओं की पूर्णता की अवधारणा शुरू करनाः** फसल उत्पादन, प्रौद्योगिकी प्रयोग, कृषक प्रशिक्षण, अग्र एवं पश्च संपर्कों जैसे सभी घटकों पर ध्यान देते हुए पूर्णता की अवधारणा के साथ या तो पूरी तरह से राज्य क्षेत्र में या निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ, जहां आवश्यक एवं संभव हो, कृषि/बागवानी/संबद्ध क्षेत्रों के तहत विशिष्ट परियोजनाएं इस स्कीम के तहत शुरू करने की अनुमति होगी। ऐसी परियोजनाओं के तहत लाभानुभोगी, तथापि, प्रमुखतया गरीबी रेखा से नीचे वाले किसान होने चाहिए। जोखिम प्रवण, अल्प विकसित, कृषि की दृष्टि से संकटापन्न, सुदूरस्थ, पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में परियोजनाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

(ढ़) **कृषि/बागवानी को बढ़ावा देने वाले राज्य सरकार के संस्थाओं को अनुदान सहायताः** जहां कहीं भी कृषि/बागवानी/संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाली राज्य स्तरीय संस्थाओं को उनके कार्यकरण/सुदृढ़ीकरण के लिए एकमुश्त अनुदान सहायता की अपेक्षा होती है, तो ऐसी सहायता दी जा सकती है।

(ण) **किसानों के अध्ययन दौरेः** किसानों के लिए रूचिकर स्थलों, विशेष रूप से अनुसंधान संस्थाओं आदि का अध्ययन दौरा।

(त) कार्बनिक तथा जैव–उर्वरकः ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रीकृत उत्पादन तथा उनके विपणन आदि के लिए सहायता। इसमें वर्मी कम्पोस्टिंग तथा बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग शामिल होगा।

(थ) अभिनव स्कीमें: उपर्युक्त सूची व्यापक नहीं है। अतः उन स्कीमों को जो कृषि, बागवानी तथा संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनकों उपर्युक्त (क) से (थ) के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, अभिनव स्कीमों के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है।

5. आर के वी वाई की प्रचालनात्मकता

5.1 राज्य कृषि विभाग इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। प्रशासनिक सुविधा और कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए राज्य सरकारें शीघ्र गति से स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक पूर्ण एजेंसी का सृजन कर सकती है अथवा अभिज्ञात कर सकती है। जहां भी कोई ऐसी एजेंसी सृजित/उद्दिष्ट हो जाती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर के वी वाई का उचित रूप से कार्यान्वयन होता है, इसकी सम्पूर्ण, ऐसी जिम्मेवारी केवल कृषि एवं सहकारिता विभाग की होगी। ऐसी स्थिति में जहां राज्य नोडल एजेंसी को अधिसूचित करते हैं वहां सीधे ही एजेंसी को राशि निर्मुक्त कर सकता है। तथापि, एजेंसी को चलाने की लागतें 1% सीमा के भीतर होनी चाहिए बशर्ते कि पैरा 3.6 में दी गई शर्तों को पूरा करते हों। राज्य अपने संसाधनों से 1% सीमा की अधिकता तक किसी प्रशासनिक व्यय का सम्पूरण कर सकते हैं।

5.2 नोडल एजेंसी/कृषि विभाग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :

(i) राज्य कृषि योजनाएं (एस ए पी) तैयार करना और जिला कृषि योजनाओं (डी ए पी) को तैयार करना सुनिश्चित करना।

(ii) परियोजनाओं को तैयार करने और मूल्यांकन करने, कार्यान्वयन करने, निगरानी करने और उनके मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वयन करना।

(iii) केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से प्राप्त राशियों का प्रबंधन करना और कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को राशियों का वितरण करना।

(iv) कृषि एवं सहकारिता विभाग को उपयोगिता प्रमाणपत्र और तिमाही वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना। वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए सूचक प्रपत्र अनुबंध–III में दिये गये हैं।

(v) प्रभावी प्रबंधन सूचना पद्धति स्थापित करना, स्वयं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में यदि कुछ होता है तो सुनिश्चित समय सीमा के भीतर यह आई टी आधारित और वैब सक्षम हो।

5.3 नोडल एजेंसी एस ए पी तैयार करेगी और समग्र राज्य योजनाओं के साथ समेकन करने के लिए राज्य योजना विभाग को इसे प्रस्तुत करेगी। राज्य योजना विभाग अपनी राज्य योजना प्रयोग के भाग के रूप में योजना आयोग को इसे प्रस्तुत करेगा। यदि एक बार अनुमोदन प्राप्त हो जाते हैं तो नोडल एजेंसी एल एल एस सी के समक्ष स्ट्रीम-I प्रस्तावों को विचार, चर्चा, तैयार करने और स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी।

5.4 राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी परियोजनाओं के सार सहित एजेंडा कृषि एवं सहकारिता विभाग को भेजेगी ताकि यह राज्य स्तरीय समिति की बैठक से कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जाय जिससे कि उनके प्रतिनिधि तैयार होकर आ सकें और एस एल एस सी की बैठक में सार्थक रूप में भाग ले सके। एस एल एस सी को परियोजनाओं की मंजूरी देने का प्राधिकार प्राप्त है।

5.5 जैसे ही एस एल एस सी प्रयोजनाओं को मंजूरी देती है, कृषि एवं सहकारिता विभाग या तो नोडल विभाग अथवा नोडल एजेंसी, जैसा भी मामला हो, को निधियां निर्मुक्त करेगा।

6. राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एस एल एस सी)

6.1 स्कीम के तहत, एक राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एस एल एस सी) गठित की जायेगी। एस एल एस सी की संरचना इस प्रकार होगी:

मुख्य सचिव
अध्यक्ष

कृषि उत्पादन आयुक्त/निजी सचिव (कृषि)
उपाध्यक्ष

सचिव, वित्त
सदस्य

सचिव, नियोजन
सदस्य

सचिव, मात्स्यिकी
सदस्य

सचिव, पशुपालन
सदस्य

सचिव, पर्यावरण एवं वन
सदस्य

सचिव, पंचायतीराज
सदस्य

सचिव, ग्रामीण विकास
सदस्य

सचिव, जल संसाधन/सिंचाई/लघु सिंचाई
सदस्य

निदेशक, कृषि
सदस्य

निदेशक, बागवानी
सदस्य

निदेशक, पशुपालन
सदस्य

निदेशक, मात्स्यिकी
सदस्य

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि, (संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं)
सदस्य

पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से कम नहीं)
सदस्य

राज्य कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि
सदस्य

योजना आयोग के प्रतिनिधि
सदस्य

सचिव, कृषि
सदस्य सचिव

6.2 बैठक का कोरम भारत सरकार से कम से कम एक प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होगा। पर्याप्त वरिष्ठता वाले योजना आयोग, डेयर, एनआरएए और डी ए एच एण्ड डी के प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं।

6.3 एस एल एस सी अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी

1. आरकेवीवाई की श्रृंखला–1 के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी
2. स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की निगरानी।
3. योजनाओं के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रम निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार लागू किये जा रहे हैं।